न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 137/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2021/360

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.प्रभुराम पुत्र गुणेशाराम 2.भैराराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी सोईन्तरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.तुलछाराम पुत्र हरजीराम 2.बाबूराम पुत्र हरजीराम 3.निम्बाराम पत्र हरजीराम 4.गवरी बेवा हरजीराम 5.बाबूराम पुत्र पुरखाराम 6.मुकाराम पुत्र पुरखाराम 7.हुकमाराम पुत्र पुरखाराम 8.मेथी पत्नी पुरखाराम 9.चौथी बेवा प्रेमा 10.डूंगर पुत्र प्रेमा 11.माला पुत्र प्रेमा 12.दला पुत्र मंगला 13.तिलाराम पुत्र लुम्बाराम जाति जाट निवासी सोइन्तरा तहसील पचपदरा 14.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1.श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता वादीगण

2.प्रतिवादी अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 15.07.2024

1. संक्षिप्त में वाद—पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पतासर तहसील पचपदरा [illegible] खसरा संख्या 01 रकबा 69[illegible] बीघा अवस्थित हैं। वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 12 के हकपूर्वाधिकारी का कब्जा—काश्त चला आ रहा था,उनके बाद वादीगण व प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

संख्या 01 से 12 का निर्विवाद कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। वक्त सेटलमेंट के समय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौका कब्जा स्थिति अनुसार राजस्व नक्शा 69.17 बीघा बनाया गया,खतौनी में अंकन करते वक्त भूलवंश रकबा 69.17 बीघा के स्थान पर 6.17 बीघा दर्ज किया गया,जबकि वादीगण राजस्व नक्शेनुसार रकबा 69.17 बीघा भूमि पर काबिज है। अतः में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 01 रकबा 06.17 बीघा के स्थान पर माफिक राजस्व नक्शेनुसार रकबा 69.17 बीघा खातेदारी घोषित करते हुए रेकर्ड दुरस्ती की जावे तथा वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 01 को 15.15 बीघा व वादी संख्या 02 को सम्पूर्ण आराजी में 1/20 हिस्सा का खातेदारी घोषित करवानें हेतु वाद पेश किया है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 से 13 की ओर से वादीगण के वाद–पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबालीया जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से जवाब पेश किया गया। वक्त बहस प्रतिवादी अनुपस्थित रहें।

3. प्रतिवादी की ओर से वादीगण के वाद–पत्र का खण्डन नहीं किए जाने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण के वाद–पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात मानी गई। वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य गवाहान में पी.डब्ल्यू 1–भैराराम व पी.डब्ल्यू–2 प्रभूराम द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ–पत्र पेश किए गए। दस्तोवजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी,नक्शा ट्रेस प्रति,जमाबंदी संवत 2012 से 2015 प्रति,नामान्तकरण संख्या 07 की प्रत व जमाबंदी संवत 2021 से 2024 की प्रति पेश की गई।

4. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। वक्त बहस वादीगण अधिवक्ता नें निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पतासर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 01 रकबा 69.17 बीघा अवस्थित हैं। वादग्रस्त आराजी में वक्त सेटलमेंट कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। वक्त सेटलमेंट के दौराने सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौका कब्जा–स्थिति अनुसार नक्शा 69.17 बीघा बनाया गया तथा खतौनी में अकंन करते वक्त भूलवंश रकबा 69.17 बीघा के स्थान पर 6.17 बीघा दर्ज किया गया। मानवीय भूलवंश गलती से 06 के आगे 09 लिखना भूल जाने से गणितीय त्रुटिवंश रकबा 6.17 बीघा दर्ज हुआ,जबकि वास्तविक रकबा 69.17 बीघा अवस्थित हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 12 का बहिस्सा बराबर 1/2,1/2 हिस्सानुसार कब्जा काश्त हैं और उसीनुसार मौके पर अपनी–अपनी जोत करते आ रहे हैं। मौके पर रहवासीया ढाणीया,पानी के टांके,पशुओं के लिए चारे के बाड़े इत्यादि बने हुए हैं। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी रूपा के देहान्त होने पर नामान्तकर[illegible] की कार्यवाही पर वादीगण को पता चला की वादग्रस्त आराजी [illegible] के स्थान पर गलत रकबा 6.17 बीघा दर्ज हो रखा हैं,त[illegible]वाए जाने पर उन द्वारा रेकर्ड दुरस्ती करते हुए नामान्तकरण संख्या 07/1960 के द्व[illegible]ास्तविक रकबा 69.17 बीघा दर्ज किया,जो जमाबंदी संवंत 2021 से 2024 तक कायम रहा। तत्पश्चात् राजस्व अधिकारीयों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के वादग्रस्त आराजी का रकबा 69.17 बीघा के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

रकबा 06.17 बीघा दर्ज किया,जो कि तत्कालीन राजस्व अधिकारीयों को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके बावजूद वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड फेरबदल कर वादीगण के हितो के साथ भारी कुठराघात किया गया हैं,जबकि वादग्रस्त आराजी का नक्शा मुताबिक ही रेकर्ड दुरस्ती किया गया था,जो जमाबंदी संवंत 2021 से 2024 कायम रहा था। अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वर्तमान रेकर्ड मुताबिक रकबा 1.14 बीघा वादी ने प्रतिवादी संख्या 13 को बेचान की थी,लेकिन रेकर्ड दुरस्ती होने पर वादी संख्या 01 का रकबा 15.15 बीघा खातेदारी घोषित करवाने का हकदार हैं तथा वादी संख्या 02 हरजीराम का विधिक वारिसान् होने के उपरांत भी प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने दुरभीसंधि कर नाम दायर नहीं होना दिया गया,जबकि हरजीराम के विधिक वारिसान् में वादी संख्या 02 भी नाम दायर करवाने का हकदार हैं। वादग्रस्त आराजी का जमाबंदी में रकबा कम होने के नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी पक्ष वादीगण को मौके से बेदखल करने पर उतारू हैं,ऐसा करने का उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। अतः में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसयरा संख्या 01 रकबा 6.17 बीघा के स्थान पर माफिक राजस्व नक्शे के अनुसार रकबा 69.17 बीघा खातेदारी घोषित करते हुए रेकर्ड दुरस्ती की जावे तथा वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 01 को 15.15 बीघा व वादी संख्या 02 को सम्पूर्ण आराजी में 1/20 हिस्सा का खातेदारी घोषित किया जावे।

5. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमें आधार स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी दृारा इकबालीया जवाब पेश किया गया है,ऐसी स्थिति में प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन् के लिए वाद–पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात माना जाकर निर्णय किया जाना एकमात्र विकल्प हैं तथा साथ ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों का समाहित करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना न्यायसंगत एवं प्रासंगिक हैं,जो निम्नानुसार हैः–

<u>**तनकी संख्या 1**</u>–आया वादग्रस्त आराजी ग्राम पतासर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 01 रकबा 06.17 बीघा के स्थान पर माफिक राजस्व नक्शे के अनुसार खतौनी में रकबा 69.17 बीघा खातेदारी घोषित करवाते हुए रेकर्ड दुरस्ती करवानें के हकदार है ?

(जिम्मे–वादीगण)

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादीगण पर हैं। जिसके समर्थन में वादी पक्ष की ओर से लिखित बयानात् गवाहान् भैराराम व प्रभुराम द्वारा पेश किए गए। वादग्रस्त आराजी का विवाद का मुख्य बिन्दु है कि खसरा संख्या 01 के राजस्व नक्शे के मुताबिक खतौनी (जमाबंदी) में रकबा 6.17 बीघा के स्थान पर 69.17 बीघा दर्ज कि[illegible] इस संबंध में नायब तहसीलदार पचपदरा की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं संल[illegible] अवलोकन करने पर पाया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) अनुसार रकबा 1.1088 हैक्टेयर दर्ज है तथा राजस्व नक्शे मुताबिक वादग्रस्त आराजी का रकबा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रकबे से अधिक का हैं। नायब

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार ने अपने तथ्यात्मक प्रतिवेदन रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि वादग्रस्त आराजी का खसरा मौके पर बडा हैं तथा मौके पर खसरा संख्या 01 का क्षैत्रफल जमाबंदी से काफी अधिक हैं। वादग्रस्त आराजी के तत्कालीन सहखातेदार रूपा वल्द रामचन्द्र के फौत होने पर भरे गए फोतदगी नामान्तकरण संख्या 07 में तत्कालीन हल्का पटवारी ने भी स्पष्ट टिप्पणी की खसरा संख्या 01 का रकबा 69.17 बीघा हैं,रकबा 06.17 बीघा गलत अकंन हो रखा हैं,जो रकबा 69.17 दुरस्त करना उचित बताया गया। तदोपरान्त जमाबंदी संवत् 2021–2024 में खसरा संख्या 01 रकबा 69.17 बीघा दर्ज हो रखा है,जो कि वादग्रस्त आराजी की मूल नक्शा शीट प्रमाणित प्रति अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी का रकबा जमाबंदी संवत् 2021–2024 अंकन के बराबर हैं। यहां यह स्पष्ट हो चुका है,कि विवादित आराजी का रकबा 69.17 बीधा बनता हैं तथा खतौनी में तत्समय लिपिकीय पेन–त्रुटि से रकबा 69.17 बीघा के स्थान पर 6.17 बीघा दर्ज हुआ था। जमाबंदी संवत् 2021–2024 में दर्ज रकबे को आगामी वर्षो की चौसाला जमाबंदी में भी यथावत रखने के बजाय रकबा 69.17 बीघा के स्थान पर रकबा 06.17 बीघा अकंन किया गया। उक्त रकबा कम दर्ज करने का क्या कारण रहे,ऐसा नायब तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड अवलोकन से यह नहीं पाया कि विवादित आराजी का रकबा कम करने के कारण क्या रहे। जबकि इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्व–रेकर्ड में ऐसी दुरस्ती सक्षम आदेश के बिना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में उल्लेखित खसरान् का रकबा कम किया जाना अपने–आप में अविधि–सम्मत् कार्यवाही हैं। ऐसी त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता हैं,जो कि वादीगण साबित करने में सफल रहे है,क्योकि हस्तगत प्रकरण में खतौनी में अंकन रकबा करते समय मानवीय भूलवंश गणितीय गलती के कारण रकबा 69.17 बीघा के स्थान पर रकबा 06.17 बीघा अंकन किया,जो कि लिपीकीय त्रुटिवंश अकंन होना पाया जाता है,क्योंकि वादग्रस्त आराजी का नक्शा मौका–स्थिति क्षैत्रफल के समान् बनाया गया हैं और उसी सामान् जमाबंदी में रकबा अकंन किया जाना चाहिए था,जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से प्रमाणित भी हो चुका हैं। प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से वाद खण्डन में ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं कर पाए,जिससे साबित होता हो कि जमाबंदी में अकंन सही हो रखा हों। इस प्रकार राजस्व नक्शें एवं जमाबंदी अकंन एक समान् होने से रेकर्ड में एकरूपता आयेगी। उपरोक्त विवेचन के उपरांत तनकी संख्या 01 वादीगण साबित करने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>**तनकी संख्या 02**</u>–आया वादग्रस्त आराजी मे वादी संख्या 01 को 15.15 बीघा तथा वादी संख्या 02 सम्पूर्ण आराजी में 1/20 हिस्सा खातेदारी धोषित करवाने के हकदार है ?

(जिम्मे–वादीगण)

तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार वादीगण [illegible] कि तनकी संख्या 01 वादीगण साबित करने में सफल रहे है। पक्षकारान [illegible] में वर्णित सजरा खानदान सही है तथा वादग्रस्त आराजी का रकबा [illegible] राजस्व नक्शे अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती योग्य है। वादी संख्या 01 का वर्तमान रेकर्ड (जमाबंदी) अ[illegible] 1/4 हिस्सा बनता था,जो वादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को बेचान कर दिया गया था। चूंकि तनकी संख्या 01 साबित होने के कारण वादग्रस्त भूमि का रकबा 6.17 बीधा के स्थान पर 69.17 बीधा बनेगा। इस कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा के हिसाब से रकबा 17.09 बीघा बनता है,जिसमें से 1.14 बीघा बेचान करने के कारण शेष रकबा 15.15 बीघा भूमि वादी संख्या 01 खातेदारी प्राप्त करने का हकदार है। इसी प्रकार वादी संख्या 02 जो कि हरजीराम का विधिक वारिसान है,हरजीराम के वादी संख्या 02 सहित पांच वारिस है। हरजीराम का 1/4 हिस्सा होने के कारण उसके पांच वारिसान का बहिस्सा बराबर 1/20,1/20 हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादी संख्या 02 भी वादग्रस्त भूमि में 1/20 हिस्सा खातेदारी धोषित करवाने का हकदार है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत तनकी संख्या 02 वादीगण साबित करने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

अनुतोषः–उपयुर्क्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण वाद–पत्र में तनकी संख्या 01 व 02 को साबित करने में बखूखी सफल रहा है। अतः वादीगण के वाद–पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पतासर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 01 क्षेत्रफल 1.1088 हैक्टयर के स्थान पर माफिक जमाबंदी संवत् 2021–2024 में इन्द्राज रकबा 69.17 बीघा खतौनी में दर्ज करते हुए राजस्व रेकर्ड दुरस्ती की जावे। प्रतिवादी संख्या 13 का हिस्सा बदूस्तर रहेंगा। वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 01 का रकबा 15.15 बीघा व वादी संख्या 02 का सम्पूर्ण भूमि में 1/20 हिस्सा खातेदार धोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर रेकर्ड को अघतन करना सुनिश्चित करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। उभय–पक्षकारान अपना–अपना व्यय वहन करें।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 15.7.2024 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 137/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/360

वादी

1.प्रभुराम पुत्र गुणेशाराम

2.भैराराम पुत्र हरजीराम

जाति जाट

निवासी सोईन्तरा

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1.तुलछाराम पुत्र हरजीराम

2.बाबूराम पुत्र हरजीराम

3.निम्बाराम पत्र हरजीराम

4.गवरी बेवा हरजीराम

5.बाबूराम पुत्र पुरखाराम

6.मुकाराम पुत्र पुरखाराम

7.हुकमाराम पुत्र पुरखाराम

8.मेथी पत्नी पुरखाराम

9.चौथी बेवा प्रेमा

10.डूंगर पुत्र प्रेमा

11.माला पुत्र प्रेमा

12.दला पुत्र मंगला

13.तिलाराम पुत्र लुम्बाराम जाति जाट

निवासी सोइन्तरा तहसील पचपदरा

14.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:–88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 137/2021

निर्णय दिनांक :– 15..07.2024

वादीगण की ओर से श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 15.7.2024 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पतासर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 01 क्षेत्रफल 1.1088 हैक्टयर के स्थान पर माफिक जमाबंदी संवत् 2021–2024 में इन्द्राज रकबा 69.17 बीघा खतौनी में दर्ज करते हुए राजस्व रेकर्ड दुरस्ती की जावे। प्रतिवादी संख्या 13 का हिस्सा बदूस्तर रहेंगा। वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 01 का रकबा 15.15 बीघा व वादी संख्या 02 का सम्पूर्ण भूमि में 1/20 हिस्सा खातेदार धोषित किया ज[illegible]नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर रेकर्ड को अघतन करना सुनिश्चित करें। [illegible]–प[illegible]रान अपना–अपना व्यय वहन करें।

यह आज तारीख 15.7.2024 को मेरे ह[illegible] मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:13 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस	–	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:00:13 IST
Reason: SelfAttested